लोक सभा

मंगलवार, ६ अप्रैल, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

२. ४२ म० प०

सदन पटल पर रखे गये पत्र

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक-गवेषणा परिषद द्वितीय पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं सदन पटल पर औद्योगिक गवेषणा परिषद की द्वितीय पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन रखता हूं । नियमों के अनुसार प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात् पुनर्विलोकन होता है ।यह पुनर्विलोकन प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की एक समिति द्वारा किया गया था जिस के सभापति श्री एल्फ्रेड एगर्सन थे । प्रतिवेदन की कुछ प्रतियां संसद पुस्तकालय में भेज दी गई हैं तथा सरकार समिति की सिफारशों पर विचार करेगी और अपना मत सदन पटल पर रक्खेगी [पुस्तकालय में रख दी गई **देखिए** संख्या एस० —१०६/५४]

भारत में फान्सीसी बस्तियों में आन्दोलन के सम्बन्ध में वकतव्य

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाएगा ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : सदन को विदत ही है कि १८ मार्च को पांडीचेरी की नगर-पालिकाओं में भारत के साथ विलय होने के संकल्प पास किये गए थे । कुछ दिनों बाद इसी प्रकार के संकल्प कारीकल की नगर-पालिकाओं द्वारा पास किये गये थे । इन संकल्पों के फ्रांसीसी भारत के कैसेसिलरों (जो मंत्री कहलाते हैं) तथा प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पूरा समर्थन प्राप्त था ।

इन नगर पालिकाओं ने जो वहां लगभग ९० प्रतिशत जनता का प्रतिनिधित्व करती है भारत में इन बस्तियों के तत्काल विलय की मांग की । उस के बाद वहां की सरकार का दमनचक्र प्रारम्भ हो गया । लोगों पर दवाब डाला गया । हम ने फ्रांस की सरकार का ध्यान इस लोकप्रिय आन्दोलन की ओर आकर्षित कर देते हुए पूर्वानुसार उसे फिर सुझाव दिया कि स्पष्ट मार्ग यह अख्तियार किया जाना चाहिए कि फ्रांस इन बस्तियों को वास्तविकता में अभी भारत को हस्तान्तरित कर दे, कानूनी हस्तान्तरण बाद को होता

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

रहेगा क्योंकि इस के लिये भारत तथा फ्रांस दोनों में संविधानिक परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी और उन पर हम बाद में चर्चा करके आवश्यक कदम उठा सकते हैं।

फ्रांस की सरकार ने हमारे प्रस्ताव का अनुकूल उत्तर नहीं दिया और यही बात फिर से दोहराई कि फ्रांसीसी संविधान के अनुसार लोगों की मर्जी के बिना विलय नहीं हो सकता। जहां तक हमारा संबंध है लोगों की मर्जी पर्याप्त रूप से प्रकट हो चुकी है। उस के अतिरिक्त, यदि माननीय सदस्य किसी बड़े मानचित्र को देखें तो विदित होगा कि सारी बस्ती एक सम्पूर्ण एकक नहीं है, कहीं भारतीय क्षेत्र आगया है, कहीं फ्रांसीसी भारतीय क्षेत्र, और सारी चीज़ एक टेढामेढ़ा घिराव सा है। प्रशासी तथा राजनितिक दृष्टि कोण से भी यह ठीक नहीं है। फिर, आधार भूत रूप से भी हम भारत के किसी स्थान में फ्रांसीसी बस्तियों का होना स्वीकार नहीं कर सकते। फ्रांसीसी संविधान की अपेक्षा के लिये यही तथ्य काफी है कि लोक-मत ने स्पष्ट रूप से भारत में विलय के पक्ष में मत ज़ाहिर कर दिया है।

यह स्मरणीय है कि पांडीचेरी के अधिकारियों ने यह आरोप लगाया है कि कुछ राजद्रोही तत्व अनुचित प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं। ये राजद्रोही तत्व वे व्यक्ति हैं जो कुछ समय पूर्व, जनता द्वारा मंत्रियों, कौंसिलरों या मेम्बरों के रूप में चुने गये थे। वे कुछ काल पूर्व ही पर्याप्त उत्तरदायी थे, किन्तु बाद को क्योंकि उन्होंने अपनी समिति एक विशेष प्रकार से प्रकट की, भारत में विलय के पक्ष में मत दिया, उन्हें 'राजद्रोही तत्व' कहकर पुकारा गया।

जहां तक भारत सरकार का संबंध है वह अब भी फ्रांस की सरकार के साथ मामले को मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए शान्तिपूर्ण तरीकों को काम में लाने की आशा रखती है और अब तक लाती भी रही है। हम ने कुछ कदम उठाए हैं। उन में से एक कदम फ्रांसीसी पुलिस को भारतीय क्षेत्र में हो कर निकलने देने से रोकना है। हम उसे लोगों का दमन करने के लिये भारतीय भूमि से हो कर नहीं गुजरने दे सकते। इस के अतिरिक्त हम ने चोर-व्यापार को रोकने के लिए कुछ चौकियां स्थापित की हैं। किन्तु आवश्यक वस्तुओं को नहीं रोका गया है क्योंकि हम सामान्य आबादी पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते। केवल पेट्रोल की उपलब्धि कुछ दिनों से रोक दी गयी है क्यों कि हमें यह खबर मिली थी कि इस पेट्रोल के वितरण में बहुत भेद भाव से काम लिया जाता है, केवल उन्हें लोगों को पेट्रोल दिया जाता है जिन पर फ्रांसीसी सरकार की कृपा होती है। इस लिए हम ने पेट्रोल देना ही बन्द कर दिया। अन्यथा सब आवश्यक चीजें जा रही हैं।

एक चीज़ और। भारतीय क्षेत्र में इन बस्तियों से आने वाले लोगों के लिए हमने परमिट प्रणाली जारी कर दी है। माननीय सदस्यों को विदित ही है कि कुछ पृथक एककों ने फ्रांसीसी शासन से अपनी पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर दी है। मैं यह बिलकुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह आन्दोलन बिलकुल स्वभाविक और स्वयं-प्रेरित है और स्वभावतः ही हमारी इस से सहानुभूति है।

सदन को याद होगा कि एक मामला हुआ था। जिस में कि फ्रांसीसी पुलिस भारतीय सीमा क्षेत्र में घुस कर दो भारतीय जनों को और एक मेयर को पकड़ कर ले गयी। हम ने इस का घोर विरोध प्रकट किया था। दोनों भारतीय प्रजाजनों को तो छोड़ दिया गया

है किन्तु मेयर को अभी तक नहीं मुक्त किया गया है । हम ने उन पुलिस वालों को सजा देने को कहा है जिन्हों ने यह हरकत की थी लेकिन उन्हें कोई सज़ा भी नहीं दी गयी है । यह भी एक मुख्य कारण है जिस से हम ने फ्रांसीसी पुलिस को भारतीय क्षेत्र में आने को रोकने की कार्यवाही की ।

फ्रांस की सरकार ने भारत सरकार से पूछा कि क्या वह उन बस्तियों पर कब्ज़ा कर लेना चाहती है जहां जनता ने स्थानीय प्रशासन पर कब्ज़ा कर लिया है । भारत सरकार ने फ्रांस की सरकार को सूचित किया है कि हम इस बारे में एकांगी कार्यवाही नहीं करना चाहते । लेकिन फ्रांसीसी पुलिस के उधर जाने पर जो पाबन्दी लगी हुई है वह जारी रहनी चाहिए ।

भारतीय नागरिकों के विरुद्ध गुन्डागिरी के जो समाचार मिले हैं, उससे भारत सरकार बहुत चिंतित है । समाचार मिला है कि महा-वाणिज्य दूत के कार्यालय से संबंध पुस्तकालय और पांडीचेरी स्थित भारतीय प्रेस संवाद-दाताओं के मकानों पर हमले किये गए हैं । भारत सरकार इस विषय में जांच कर रही है और वह अपने हितों और अधिकारों की रक्षा के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

वहां होने वाली घटनाओं से स्पष्ट हो गया है कि जनमत लिए बिना ही भारत में तत्काल विलय की बात को जनता का पूरा समर्थन प्राप्त है । आंन्दोलन पूर्णतः स्वाभा-विक रूप में और ऐसे व्यक्तियों के नेतृत्व में हो रहा है, जो अब तक प्रशासन के उत्तर-दायी सदस्य थे । अन्य राजनितिक दलों और नेताओं ने भी इस लोकप्रिय आंदोलन को सहयोग देने की घोषणा की है । दमन द्वारा ऐसे आंदोलन को कुचला नहीं जा सकता जो भारत का अंग बनने की लोगों की स्वा-भाविक इच्छा पर आश्रित है । फ्रांसीसी बस्तियों के निवासी महान् भारतीय परिवार के ही अंग हैं । आर्थिक, सांस्कृतिक तथा अन्य दृष्टियों से भारत के साथ उन के बड़े निकटतमसंबंध हैं । वह राजनितिक व्यवस्था जो उन्हें भारत से पृथक और एक विदेशी शासन के अधीन रखती है, भारत की जनता और सरकार को सर्वथा अमान्य है ।

भारत सरकार को आशा है कि यह व्यवस्था मैत्री पूर्वक आपसी समझौते से बदल दी जाएगी । यह बहुत दिन नहीं चल सकती क्योंकि जनता ने इस का अंत करने का पक्का इरादा कर लिया है । अतः भारत सरकार ने फ्रांस सरकार से पुनः अनुरोध किया है कि उस के अकटूबर १९५२ वाले सुझाव पर फिर विचार किया जाए । उस ने वे कारण बताए हैं, जो जनमत के प्रस्ताव को स्वीकार करने में उस के आड़े आ रहे हैं । सभी महत्वपूर्ण राजनितिक दलों ने सैधांतिक आधार पर इस प्रस्ताव को अस्वी-कार कर दिया है और फ्रांसीसी बस्तियों में आज स्थिति भी ऐसी है कि अबाध जनमत हो भी नहीं सकता । चूंकि लगभग ९० प्रतिशत जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा जनता की इच्छा इतने स्पष्ट रूप में व्यक्त कर दी गई है, जनमत सर्वथा अनावश्यक है ।

भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लोगों के सांस्कृतिक तथा अन्य अधिकारों का पूरा आदर किया जाएगा । वह फ्रांस की प्रभुसत्ता का कानूनी हस्तान्तरण तत्काल नहीं कराना चाहती । उसका सुझाव यह है कि प्रशासन का वास्तविक हस्तांतरण तुरंत कर दिया जाए और फ्रांसीसी प्रभुसत्ता सांविधानिक प्रश्नों का समाधान होने के समय तक बनी रहे । भारत और फ्रांस दोनों को ही अपने अपने संविधानों में तत्संबंधी परिवर्तन करने होंगे । इस में समय

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

लगेगा, जब कि जनता की मांग यह है कि जन मत के बिना तुरंत विलय कर दिया जाए। भारत सरकार का विचार है कि उन के द्वारा दिए गए सुझाव से समझौता होने में बहुत सहायता मिलेगी, जैसा वह चाहती है। इस आधार पर वह फ्रांस सरकार से प्रसन्नता-पूर्वक बात चीत चला सकेगी।

वक्तव्य

मैं सदन को फ्रांसीसी बस्तियों में होने वाली घटनाओं के बारे में बता चुका हूं। १८ मार्च को पांडीचेरी की आठ नगरपालिकाओं ने भारत के साथ तत्काल विलय की मांग करते हुए संकल्प पारित किए। कुछ दिन बाद कराईकल की ६ नगर पालिकाओं द्वारा भी वैसे संकल्प पारित किए गए। इन संकल्पों को फ्रांसीसी भारत के पारिषदों (जिन को मंत्री कहा जाता है) का तथा प्रतिनिधि-सभा का भी पूरा-पूरा समर्थन प्राप्त है।

२. इन संकल्पों को पारित करने वाली नगरपालिकाएं फ्रांसीसी बस्तियों के लगभग ९० प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्हों ने फ्रांसीसी सरकार से कहा कि जनता की इच्छा को कार्यान्वित करने के लिए तुरंत आवश्यक कार्यवाही की जाए। फ्रांस गणराज्य के सभापति, फ्रांसीसी मंत्रि-परिषद् के प्रमुख सदस्यों, राष्ट्रीय विधान सभा के अध्यक्ष तथा फ्रांस संघ की सीनेट और विधान सभा के पास तार भेजे गए हैं। इन तारों की प्रतिलिपियां मेरे पास भेजी गई थीं।

३. यह स्पष्ट है कि कि जनता का भारी बहुमत अपने चुने हुए प्रतिनिधियों और उत्तरदायी मंत्रियों के द्वारा इस लोकप्रिय मांग का समर्थन कर रहा है। मांग बिना जन मत लिए भारत के साथ तुरंत विलय हो जाने की है, क्योंकि भारत के साथ विलय के संबंध में जनता की इच्छा सर्वविदित है। मंत्रियों और चुने हुए प्रतिनिधियों को आशा थी कि फ्रांस सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। उन की आशाएं फलीभूत न हुई क्योंकि स्थानीय अधिकारियों ने संकल्पों की अवहेलना की और लोकप्रिय आंदोलन के विरुद्ध दमन नीति अपनाई।

४. मंत्रियों तथा अन्य लोगों को अपनी घोषणायें वापस ले लेने के लिए धमकियां दी गई। पांडीचेरी में गुंडागिरी की घटनाएं हुई और २० मार्च को गुंडों ने पी० टी० आई० के एक स्थानीय संवाददाता पर हमला किया। पांडीचेरी के विभिन्न भागों में पुलिस की टुकड़ियां भेजी गई और लोगों को चेतावनियां दी गई कि वे लोकप्रिय आंदोलन से अलग रहें।

५. भारत सरकार ने इन दमनात्मक कार्यवाहियों के विरुद्ध अपनी चिंता प्रकट की। स्थानीय अधिकारियों के पास एक कड़ा विरोध पत्र भेजा गया और उन को सूचित किया गया कि इन धमकियों आदि से भारत में बुरा प्रभाव पड़ेगा। भारत के पैरिस स्थित राजदूत ने वैसा ही एक अभ्यावेदन फ्रांस सरकार को दिया। फ्रांस सरकार को याद दिलाई गई कि फ्रांसीसी बस्तियों के भविष्य के प्रश्न पर कई वर्षों से इसी कारण कोई समझौता नहीं हो सका है कि उन्हें जनता की इच्छा के विषय में संदेह था। ये इच्छाएं अब विद्यमान परिस्थितियों में यथासंभव सर्वाधिक प्रभावी रूप में व्यक्त कर दी गई हैं।

६. भारत सरकार ने अक्टूबर १९५२ में एक सुझाव दिया था कि प्रशासन का सीधा हस्तान्तरण करके एक समझौते पर पहुंचा

जाए और संविधानिक तथा अन्य बातें बाद में बात चीत द्वारा सुलझा ली जाएं । फ्रांस की कानूनी प्रभुसत्ता आगे बात चीत हो ने तक बनी रहे, और प्रशासन भारतीयों को सौंप दिया जाए । राज दूत ने फ्रांस सरकार का ध्यान इस सुझाव की ओर आकर्षित किया और विलय के लिए की जाने वाली इस मांग का लाभ उठाकर मैत्रीपूर्ण समझौते पर पहुंचने की बात कही ।

७. फ्रान्स सरकार ने इस सुझाव पर स्वीकारात्मक उत्तर नहीं दिया । उस ने आरोप लगाए हैं कि भारत सरकार द्वारा कुछ ऐसे कार्य किये गए जिसे फ्रांसीसी बस्तियों के निवासियों को सामान्य आर्थिक जीवन बिताने में बाधा पहुंचे । उन का कहना है कि इन का लक्ष्य लोगों पर दबाव डालना है । फ्रांस की सरकार ने यह भी कहा है कि फ्रांस के संविधान के अधीन जनता की स्वीकृति के बिना फ्रांसीसी राज्य क्षेत्र का हस्तांतरण संभव नहीं है । अतः उन का प्रस्ताव है कि तुरंत बातचीत चलाई जाए कि फ्रांसीसी बस्तियों में जनमत लेने के लिए कैसी दशाएं होनी चाहिए ।

८. भारत सरकार को खेद है कि इस प्रश्न के शांतिपूर्ण तथा मैत्री पूर्ण निपटारे के लिए उन्होंने जो सुझाव दिया था, उसे अब तक नहीं माना गया है । उस ने बारंबार यह स्पष्ट कर दिया है कि उस ने जिन आर्थिक उपायों को अपनाया है, उन का लक्ष अपने न्यायोचित हितों की रक्षा करना है । उस का लक्ष चौर्य पणन तथा अन्य अवांछित कार्यवाहियों को रोकना है, जिन को स्थानीय प्रशासन के अजीब तरीकों और नीति से प्रोत्साहन मिलता है । इस सुझाव के लिए कोई आधार नहीं है कि लोगों पर दबाव डाला गया है । फ्रांसीसी बस्तियों के लिए बहुत से संभरण भारत से आते हैं और एक को छोड़ कर शेष सभी संभरणों को चालू रखा जा रहा है । भारत सरकार ने भी यह बात बराबर कही है कि फ्रांसीसी बस्तियों में विद्यमान परिस्थितियों में जनमत नहीं लिया जा सकता । १९५१ से ये परिस्थितियां बिगड़ती ही गई हैं , जब फ्रांस सरकार द्वारा नियुक्त किए गए निष्पक्ष प्रेक्षकों ने भी यही विचार व्यक्त किया था ।

९. पिछले कुछ दिनों से स्थानीय प्रशासन की दमन कार्यवाहियों के होते हुए यह आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है । आंदोलन २८ मार्च को शुरू किया गया था और तब से कराईकल और पांडिचेरी के भागों में प्रायः प्रति दिन जलूस निकाले जा रहे हैं और सभाएं हो रही हैं । विलय आंदोलन के कुछ समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य लोग पुलिस की हिंसा के लक्ष्य बने हैं । आंदोलन शांतिपूर्वक चलाया गया है और पांडिचेरी के पश्चिमी क्षेत्रों में जैसे नेत्तापक्कम में और बाहौर के भागों में प्रभावी शक्ति विलय समर्थक दलों के हाथ में आ गई है । समाचार पत्रों के वृत्तांतों के अनुसार स्थानीय पुलिस उन से मिल गई है और उन्होंने सार्वजनिक भवनों पर भारतीय झंडा फरा दिया है और भारत का अंग बनने की अपनी इच्छा प्रकट कर दी है । उन्हों ने फ्रांस सरकार से फिर कहा है कि वह जनमत के बिना ही फ्रांसीसी बस्तियों का भारत संघ के साथ विलय करने के लिये तुरंत कार्यवाही करे ।

१०. स्थानीय प्रशासन की दमन कार्य वाहियों की दृष्टि में भारत सरकार को अपने हितों की रक्षा करने के लिए कुछ पग उठाने के लिए विवश होना पड़ा है । कुछ दिन पहले फ्रांसीसी पुलिस ने भारतीय सीमा का उल्लंघन किया था और दो भारतीय नागरिकों को और पांडिचेरी के जिलों (कम्यूनों) के मेयर को, जो भारतीय सीमा में शरण ले रहे थे,

[श्री जवाहरलाल नहरू]

पकड़ ले गई थी। सीमा पर रहने वाले भारतीय नागरिकों को दबाने और धमकी देने की एक घटना और हुई थी। भारत सरकार ने इन घटनाओं के बारे में एक कड़ा विरोध पत्र भेजा और मांग की कि अवैध रूप में पकड़े गए तीनों व्यक्तियों को छोड़ कर तुरंत भारतीय राज्य क्षेत्र में पहुंचा दिया जाए। उस ने संबंधित फ्रांसीसी अधिकारियों को दंड देने और भविष्य के लिए कुछ आश्वासन देने की भी मांग की। उस की मांग पूरी नहीं हुई है, और ऐसी घटनाओं को फिर न होने के लिए उस ने कुछ पूर्वोपाय अपनाए हैं। अपनाए गए उपायों में एक यह भी है कि फ्रांसीसी पुलिस का भारतीय राज्य-क्षेत्र से हो कर फ्रांसीसी बस्ती के किसी भाग में जाना बिलकुल बंद कर दिया जाए।

११. भारत सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है कि फ्रांसीसी बस्तियों के किसी भाग का नियंत्रण एक पक्षीय रूप से अपने हाथ में ले ले। पर वह एक लोकप्रिय आन्दोलन को दबाने के लिए फ्रांसीसी पुलिस को भारतीय राज्य क्षेत्र का उपयोग नहीं करने देगी। इस से भारत में बुरा प्रभाव पड़ेगा, अतः जब तक वर्तमान तनाव चलता रहेगा, यह प्रतिबंध लागू रखना पड़ेगा। यह केवल भारतीय नागरिकों के ही हित में नहीं, बल्कि फ्रांसीसी पुलिस के हित में भी लगाया गया है। भारत सरकार की फ्रांसीसी बस्तियों के सामान्य प्रशासन में हस्तक्षेप करने की कोई इच्छा नहीं है, भले ही वह अपनाए जाने वाले उपायों के घोर विरोध में हो। अतः उस के द्वारा लगाया गया प्रतिबंध पुलिस के ही बारे में है। प्रशासन के अन्य अधिकारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होता है।

१२. भारत सरकार को दूसरी कार्यवाही करनी पड़ी है, वह यह कि भारत से फ्रांसीसी बस्तियों को पैट्रोल के संभरण पर रोक लगा दी गई है। पैट्रोल तथा अन्य अत्यावश्यक संभरण अब तक अबाध रूप में जाते रहे, पर अब भारत सरकार को पता चला है कि पैट्रोल की बिक्री के बारे में स्थानीय प्रशासन कुछ भेद भाव कर रहा है। बिक्रेताओं से कहा गया है कि विलय-आंदोलन के समर्थकों को पैट्रोल न बेचा जाए। यदि पदार्थों का वितरण स्थानीय प्रशासन के समर्थकों तक ही सीमित रखा जाता है तो भारत सरकार उस दशा में फ्रांसीसी बस्तियों को उन पदार्थों के निर्यात की अनुमति नहीं दे सकती। उस ने पैट्रोल का सम्भरण बंद कर दिया है और वह सभी मामलों में इस सिद्धांत का कड़ाई के साथ प्रयोग करना चाहती है।

१३. भारत सरकार ने स्थानीय प्रशासन को यह भी सूचना दे दी है कि वह १९ अप्रैल से पांडिचेरी और कराईकल के बीच यातायात का नियमन करने के लिए आज्ञा-पत्र प्रणाली लागू करना चाहती है।

उन्हें यह पग वाध्य हो कर उठाना पड़ा है। यह केवल चोरी से माल लाने व लेजाने पर, जो की गई कार्यवाहीयों के बावजूद भी बंद नहीं हुआ है, प्रतिबंध के रूप में ही नहीं, अपितु आवांछनीय व्यक्तियों को भारत में स्वतन्त्रतापूर्ण आने से रोकने की दृष्टि से उठाया गया है। यदि स्थानीय प्रशासन का दमन कार्य चलता रहता है तथा विधि-विरोधी व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाता है, तो फ्रांसीसी बस्तियों की हालत और भी अधिक बिगड़ जायेगी। अब उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों की दृष्टि से भारत सरकार यह आवशयक समझती है कि पांडिचेरी तथा कराईकल से भारत आने वाले व्यक्तियों को रोका जाये। साधारणतया,

भारत आने के लिये एक ओर की यात्रा का प्रवेष-पत्र दिया जायेगा परन्तु महा-वाणिज्यदूत को विशेष मामलों में बहु यात्रा प्रवेष-पत्र देने का अधिकार होगा। उसे अपनी इच्छानुसार प्रवेशपत्र के लिये मना करने की भी पूर्ण स्वतन्त्रता होगी।

१४. भारतीय नागरिकों के विरूद्ध गुन्डागर्दी की कार्यवाहियों की जो सूचनायें मिली हैं उन से भारत सरकार परेशान होती है। महा-वाणिज्य दूतालय के पुस्तकालय तथा पांडिचेरी में भारतीय पत्र-कारों के मकानों पर आक्रमण होने की भी सूचनायें मिली हैं। भारत सरकार इस मामले की जांच कर रही है तथा वे उन के अधिकारों तथा हितों की रक्षा के लिये आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

१५. घटनाओं से, जो हो रही हैं, यह स्पष्ट है कि जनमत संग्रह के बिना भारत में तत्काल विलय की मांग को जनता का सामान्य समर्थन प्राप्त है। आन्दोलन पूर्णतया स्वयं स्फूर्त है तथा इस की आगवाई वे व्यक्ति कर रहे हैं जो पिछले दिनों तक प्रशासन के उत्तरदायी सदस्य थे। अन्य राजनीति दलों तथा नेताओं ने भी इस सर्व-व्यापक आन्दोलन का समर्थन करने की घोषणा की है। दमन उस आन्दोलन को समाप्त नहीं कर सकता जो लोगों की भारत का अंग बनने की स्वभाविक इच्छा पर आधारित है। फ्रांसीसी बस्तियों के लोग वृहत भारतीय परिवार का एक अंग हैं। आर्थिक दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से तथा अन्य मामलों में उन का भारत से अत्याधिक गहरा संबंध है। एक राजनीतिक प्रणाली, जो उन्हें भारत से पृथक रखती है, तथा विदेशी शासन के अधीन रखती है, उन्हें तथा भारत की सरकार व जनता को पूर्णतया अस्वीकार्य है।

१६. भारत सरकार को आशा है कि यह प्रणाली मैत्रीपूर्ण ढंग से शान्तिपूर्वक बदली जायेगी। किसी भी परिस्थिति में यह अधिक समय तक नहीं चल सकती क्योंकि जनता ने इसे समाप्त करने की अपनी दृढ़ इच्छा व्यक्त कर दी है। अतः भारत सरकार ने फ्रांस की सरकार से पुनः निवेदन किया है कि वह उन के अक्टूबर १९५२ वाले सुझाव पर विचार करे। उन्होंने वे कारण बता दिये हैं जो उन्हें जनमत संग्रह का प्रस्ताव स्वीकार करने से रोकते हैं। सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों ने यह प्रस्ताव सिद्धान्त के आधार पर तथा इस कारण भी अस्वीकार किया है कि फ्रांसीसी बस्तियों में परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोई भी स्वतन्त्र जनमत संग्रह नहीं हो सकता है। क्योंकि लगभग ९० प्रतिशत जन संख्या के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा जनता की इच्छायें स्पष्ट हो गई हैं। किसी भी हालत में जनमत संग्रह अनावश्यक है।

१७. भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लोगों के सांस्कृतिक तथा अन्य अधिकारों को पूर्ण सम्मान दिया जायेगा। वे फ्रांस की वैधानिक प्रभुत्व के तत्काल ही हस्तान्तरण की मांग नहीं कर रहे हैं उन का सुझाव यह है कि प्रशासन का यथार्थ हस्तांतरण तत्काल ही हो जाना चाहिये, जब कि फ्रांसीसी प्रभुत्व को वैद्यानिक प्रश्न का निर्णय होने तक रहने दिया जाये। भारत तथा फ्रांस दोनों को ही अपने अपने संविधानों में आवश्यक परिवर्तन करने होंगे। इस सब में समय लगेगा जबकि जनता की मांग जनमत संग्रह के बिना तत्काल ही विलय की है। भारत सरकार को विश्वास है कि उन्हों ने जो सुझाव दिया है उस से निर्णय होने में सहायता मिलेगी, जिस के कि वे बड़े इच्छुक हैं। वे प्रस्ताविक आधार पर फ्रांस की सरकार से सहर्ष वार्ता करेंगे।